संख्या- 5/एम0एस032/49-3-2014-100(19)/2010

प्रेषक,

राम किशोर,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निबन्धक,
सहकारिता,उ0प्र0,
लखनऊ।

सहकारिता अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक: 28 मार्च, 2014

विषय- चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-18 के अधीन आयोजनेत्तर पक्ष में रासायनिक उर्वरकों के अग्रिम भण्डारण हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष किये गये व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक: 664/बीज-उर्वरक, दिनांक 07 अक्टूबर, 2013, 18मार्च,2013 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि रासायनिक उर्वरकों के अग्रिम भण्डारण योजनान्तर्गत अनुदान दिये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2013-14 के आयोजनेत्तर पक्ष में प्राविधानित धनराशि रू0 100.00 करोड़ के सापेक्ष अवशेष धनराशि में से प्राप्त क्लेम बिल के सापेक्ष निम्न विवरण एवं शर्तो के अनुसार कुल समेकित धनराशि रू0 10,78,42,774.00(रू0 दस करोड़ अटठहत्तर लाख बयालिस हजार सात सौ चौहत्तर मात्र) की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :--

पूर्व भण्डारण योजनान्तर्गत उर्वरकों के पूर्व भण्डारित तथा सामान्य उर्वरको के परिवहन पर व्यय की स्वीकृति -

विवरण	धनराशि रूपये में
वर्ष 2013-14 में अन्य सहकारी एजेन्सियों द्वारा परिवहन व्यय	22,72,101.79
वर्ष 2013-14 में सितम्बर, 2013 के अवशेष सामान्य उर्वरक परिवहन पर पी0सी0एफ0 द्वारा व्यय	1,05,01,867.53
अन्य सहकारी एजेन्सियों द्वारा वर्ष 2012-13 में सामान्य परिवहन मद में व्यय	61,57,045.84
उर्वरकों के विक्रय के समय मूल्यों में कमी हो जाने पर पी0सी0एफ0 को देय अन्तर की धनराशि के भुगतान हेतु	8,89,11,759.60
कुल योग--	10,78,42,774.76
कुल समेकित धनराशि --	10,78,42,774.00

2- उपर्युक्त स्वीकृति इस शर्त के अधीन है कि प्रशासनिक विभाग सम्बन्धित को भुगतान से पूर्व पी0सी0एफ0 में कार्यरत आडिट विंग से मा0 मंत्रिपरिषद के निर्णय के तहत जारी शासनादेश के क्रम में धनराशि की अनुमन्यता का परीक्षण करा लेगें।

3- आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता, उ0प्र0, लखनऊ एवं वित्त नियंत्रक, सहकारिता, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा अपने स्तर से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत धनराशि का व्यय उसी मद में किया जायेगा जिस प्रयोजन हेतु धनराशि स्वीकृत हुयी है और उक्त धनराशि को अन्य मदों में व्यय कदापि न किया जाय तथा यह भी पुष्टि कर ली जायेगी कि ब्याज तथा भण्डारण शुल्क एवं परिवहन मद के व्यय को प्रस्तावित अनुमोदित योजना के अनुसार ही स्वीकृत किया जा रहा है।

------2/----

http://shasanadesh.up.nic.in

4- उक्त जारी वित्तीय स्वीकृति के अन्तर्गत कोषागार से धन का आहरण विद्यमान व्यवस्था तथा संगत नियमों के अनुसार व्यय की आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन/महालेखाकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

5- पी0सी0एफ0 में कार्यरत आडिट विंग शासनादेश संख्या- 368/49-3-2013-100(19)/2010, दिनांक 25-3-2013 तथा मा0 मंत्रिपरिषद के निर्णय के तहत जारी शासनादेशों के क्रम में स्वीकृति धनराशि की अनुमन्यता का परीक्षण कर अपनी आडिट रिपोर्ट दिनांक 31-12-2014 तक उपलब्ध करायेगें।

6- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-18 के अधीन लेखा शीर्षक "2425-सहकारिता-आयोजनेत्तर-00-800-अन्य व्यय-05- रासायनिक उर्वरकों का अग्रिम भण्डारण योजना-00-27-सब्सिडी " के नामे डाला जायेगा।

7- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-2-354/दस-2014, दिनांक: 28 मार्च,2014 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(राम किशोर)
संयुक्त सचिव।

पृष्ठांकन संख्या- 5/एम0एस032(1)/49-3-2014,तद् -दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित: --

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय,उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- वित्त नियंत्रक/लेखाधिकारी, आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता,उ0प्र0,लखनऊ।
4- वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
5- प्रबन्ध निदेशक, पी0सी0एफ0, लखनऊ।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राम किशोर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in